<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

महेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या : 390 / 2021</td>
<td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>01-02-2022</td>
<td>अपीलार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह चौहान निवासी रामेदवरा का बास, सर, गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.11.2021 में उसके द्वारा (1) अतिक्रमित सरकारी भूमि (ग्राम पंचायत सर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर) का क्षेत्रफल सहित सम्पूर्ण ब्यौरा व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि (2) अतिक्रमित सरकारी भूमि (ग्राम पंचायत सर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर) पर अतिक्रमण किस प्रकार के है (3) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.08 14:23:41 IST
Reason: SelfAttested